

LD - 128
(095) LL.B. PART TWO(SEMESTER-I)
Examination Jan.-Feb. 2021
Compulsory /Optional
Paper - II
(CONSTITUTIONAL LAW II)

Time:- Three Hours]

Maximum Marks : 100
Minimum Passing Marks: 036

नोट : किन्हीं पांच प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note: Answer any five questions. All questions carry equal marks.

प्रश्न 01. पंचायतों के गठन, संरचना, कार्यकाल, शक्तियों, प्राधिकार एवं उत्तर दायित्वों की विवेचना कीजिए।
Discuss the constitution, composition, duration, powers, authorities and responsibilities of Panchayats.

प्रश्न 02. संघीय संविधान में केन्द्र तथा राज्यों के संबंधों पर एक व्याख्यात्मक लेख लिखिए।
Write an explanatory essay on relations between the union and the states in Federal Constitution.

प्रश्न 03. विधि निर्माण से संबंधित सूचियों के निर्वचन के सामान्य नियमों की विवेचना कीजिए।
Discuss the general principles of interpretation of the lists relating to law making.

प्रश्न 04. संविधान में उपबन्धित सम्पत्ति के अधिकार संबंधों उपबन्धों की व्याख्या कीजिए।
Discuss the provisions relating to right to property, given in the Constitution.

प्रश्न 05. क्या भारत-क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता है? इस संदर्भ में विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।
Is there freedom of trade, commerce and intercourse within India? Discuss various constitutional Provisions in this regard.

प्रश्न 06. प्रसाद के सिद्धांत की विवेचना कीजिए।
Discuss the doctrine of pleasure.

प्रश्न 07. 42वें संविधान संशोधन के अधीन उपबन्धित न्यायाधिकरणों की संरचना एवं क्षेत्राधिकार का उल्लेख कीजिए।
Discuss composition and Jurisdiction of Tribunals which are formed under 42nd constitutional Amendment.

प्रश्न 08. निर्वाचन आयोग के गठन, कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख कीजिए। क्या निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है?
Describe the constitution, functions and powers of the Election commission. Can the courts interfere in electoral matters?

प्रश्न 09. आपात उदघोषणा से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? आपात घोषणा के प्रभाव का वर्णन कीजिए।
What do you understand by the proclamation of Emergency? What are its kinds? Describe the effect of Proclamation of Emergency.

प्रश्न 10. पी.एल.धिंगरा बनाम भारत संघ A.I.R. 1958, S.C.36 के बाद के तथ्यों तथा निर्णय एवं प्रतिपादित विधि के सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए।
Discuss the facts, judgement and principles of law laid down in the case of P.L.Dhingra Vs Union of India, A.I.R. 1958, S.C.36.